27/02/25

आज पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्षकारान पर मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर प्रार्थी का प्रा. पत्र 21ख खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.मि. हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद हो।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)